

कार्यालय नजारात, जनपद न्यायालय, बाराबंकी  
इतिहास नीलाम ठेका वर्ष 2016-17

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित ठेकों की नीलामी दि 09.08.2016 को समय 4.00 बजे सायं जिला न्यायालय परिसर बाराबंकी में सम्पन्न होगी।

1. दुकान नं01, चाय,मीठा,नमकीन ए0डी0आर0 भवन के निकट निर्वाचन कार्यालय की बाउन्ड्री से सटाकर क्षेत्रफल 10X15 फिट।
2. दुकान नं02, चाय,मीठा,नमकीन, साइकिल स्टैंड, दीवानी ब्लाक पीपल पेड के पास क्षेत्रफल 10X15 फिट।
3. ठेका फूट जूस, फलों का रस एवं फलों की चाट स्थित जिला जजरी परिसर में चौकीदार निवास के निकट क्षेत्रफल 10X15 फिट।
4. ठेका फोटो स्टेट न्यायभवन के सामने क्षेत्रफल 10X15 फिट।
5. ठेका फोटो ग्राफी न्यायभवन के सामने क्षेत्रफल 10X15 फिट।

नियम व शर्तें

1. उक्त ठेकों की बोली बोलने हेतु आवेदक को निर्धारित न्यूनतम धनराशि का 10 प्रतिशत राशि नकद प्रतिभू राशि दि 08.08.2016 को जमा करनी होगी।
2. नीलामी में भाग लेने हेतु प्रत्येक व्यक्ति को अपना आधार कार्ड, पहचान पत्र तथा निवास प्रमाण-पत्र जो प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा निर्गत किया गया हो, प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।, अन्यथा निविदा अस्वीकृत कर दी जायेगी।
3. ठेका की अवधि दि 01.04.2016 से दि 31.03.2017 तक होगी।
4. जिस भागीदार की बोली सबसे अधिक होगी, उसकी बोली स्वीकृत होने पर चार त्रैमासिक किश्तों में ठेका धनराशि देय होगी। जिसमें एक किश्त बोली स्वीकृत होने पर सिक्वोरिटी मनी के रूप में जमा करनी होगी एवं व्यवसाय प्रारम्भ करने से पूर्व प्रथम किश्त जमा करनी होगी। द्वितीय किश्त, तृतीय किश्त व चौथी किश्त कार्यालय द्वारा निर्धारित तिथियों में देय होगी। चौथी किश्त न अदा करने पर पूर्व में जमा सिक्वोरिटी मनी से जमा कर लिया जायेगा।
5. बोली दाता की बोली स्वीकार होने पर व्यवसाय प्रारम्भ करने से पूर्व स्टाम्प पेपर पर लीज डीड निष्पादित करना अनिवार्य होगा, तभी व्यवसाय प्रारम्भ कर सकेगा, किसी भी ठेकेदार को सड़क पर व्यवसाय करने की अनुमति नहीं होगी, ठेका स्थल की साफ सफाई की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी, ठेकेदार खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता व साफ सफाई का विशेष ध्यान रखेगा, साफ सफाई हेतु डेस्टविन का प्रयोग अवश्य करेंगे।
6. अधोहस्ताक्षरी को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी निविदा को निरस्त कर सकते है।
7. निर्धारित समय पर वांछित किश्त न जमा करने पर ठेका स्वयं निरस्त हो जायेगा। जिसके फलस्वरूप पुनः नीलामी में जो नुकसान होगा वह ठेकेदार की चल अचल सम्पत्ति से वसूला जायेगा तथा शेष जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
8. ठेकेदार को दुकान के अन्दर व बाहर साफ सफाई की व्यवस्था स्वयं करनी होगी तथा सारा सामान बर्तन पानी आदि स्वच्छ रखना होगा।
9. ठेकेदार को प्रत्येक दुकान हेतु निर्धारित भूमि में ठेका अवधि तक के लिए अस्थाई निर्माण को अपने व्यय पर करना होगा तथा ठेका अवधि समाप्त होने पर उक्त अस्थाई निर्माण को अपने व्यय पर हटाना होगा।
10. ठेका पर नगर परिषद द्वारा कोई कर अध्यारोपित की जाती है तो उसकी अदायगी का उत्तरदायी स्वयं ठेकेदार का होगा।
11. ठेकेदार को दुकान पर रेट बोर्ड लगाना होगा, जो बाजार की दरों के अनुरूप होगा अथवा अधोहस्ताक्षरी द्वारा स्वीकृत किया हुआ होगा।
12. ठेकेदार द्वारा ठेके की शर्तों का ठेका अवधि में किसी भी प्रकार से उल्लंघन करने पर ठेका अधोहस्ताक्षरी द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा।
13. उपरोक्त दुकानों की कमवार बोली हेतु निर्धारित न्यूनतम धनराशि (पिछली बोली का 10 प्रतिशत मिलाकर) निम्नवत हैं।

1. दुकान नं01, चाय,मीठा,नमकीन -	रु0 33,000.00
2. दुकान नं02, चाय,मीठा,नमकीन -	रु0 44,000.00
3. ठेका फूट जूस, -	रु0 21,175.00
4. ठेका फोटो स्टेट -	रु0 26,180.00
5. ठेका फोटो ग्राफी -	रु0 6,820.00

*Nodal officer computer  
System officer bypassed this  
for tomorrow on NRI web  
site of Honble AC.*

*30.7.16  
B.K.*

*B.K.*  
30.7.16  
कृत जनपद न्यायाधीश,  
बाराबंकी।